न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

पीठासीन अधिकारी श्रीमति शिप्रा शर्मा (आर.ए.एस.)

दावा संख्या–48/2018 उनवान

जरीना बनाम इस्माईल वगै0

दावा बाबत् तकास्मा

अधिवक्ता वादीः– एन.के. शर्मा दिनांकः–09.05.2019

अधिवक्ता प्रतिवादीः– अनुपस्थित

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 19.06.2018 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 21.02.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पूर्व में राजस्व लोक अदालत की भावना से उक्त वाद प्राथमिक डिक्री किया गया था। जिसकी पालना में तकास्मा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत हो चुकी हैं। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादीया का उपरोक्त भूमि में 1/6 हिस्सा हैं। जिसका 1/6 हिस्से अनुसार तकास्मा किया गया हैं। जिस पर वह काबिज हैं। तकास्मा अनुसार वादीया के हिस्से का तकास्मा अमल में लाया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में वादीया के अधिवक्ता उपस्थित हैं। जिन्होनें ने तकास्मा रिपोर्ट के अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं तथा प्रतिवादीगण की पहचान हल्का पटवारी–जौंला द्वारा की गई।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग हैं। तहसीलदार निर्णय अनुसार पालना करें। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(श्रीमति शिप्रा शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)